

ज़िला दवियांगता पुनर्वास केंद्र

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड ने [दवियांगजनों](#) को एक ही स्थान पर व्यापक सेवाएँ प्रदान करने के लिये देहरादून के गांधी शताब्दी अस्पताल में अपना पहला आधुनिक, बहुउद्देशीय [ज़िला दवियांगता पुनर्वास केंद्र \(DDRC\)](#) शुरू किया।

मुख्य बंदि

- **प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:** DDRC दवियांगता प्रमाण-पत्र, फजियिथेरेपी, परामर्श, सहायक उपकरण और सरकारी कल्याण योजनाओं तक पहुँच जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।
- **लाभार्थी सहायता:** दवियांग व्यक्ति विशिष्ट आईडी, [आधार पंजीकरण](#), मनोवैज्ञानिक परामर्श, कृत्रिम अंग उपकरण, चकित्सा उपचार और रोज़गार प्रशिक्षण जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
 - **उत्तराखंड की लगभग 20% जनसंख्या** किसी न किसी प्रकार की दवियांगता से प्रभावित है।
- **प्रशासन:** यह केंद्रीय समाज कल्याण वंभाग की नगिरानी में एक **नोडल एजेंसी के अधीन कार्य** करता है, जसिमें 14 कर्मचारी पद, एक समर्पित परिवहन वाहन और एक हेल्पलाइन शामिल हैं।
- **समग्र पुनर्वास:** चकित्सा, सामाजिक, शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जसिसे व्यापक पुनर्वास सुनिश्चित होता है।
- **स्वावलंबन पर ज़ोर:** केंद्र लाभार्थियों में **आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुनर्वास और स्वरोजगार योजनाओं पर** विशेष ध्यान देता है।
- **बहु-वर्षिक टीम:** स्टाफ में फजियिथेरेपिस्ट, भाषण एवं व्यावसायिक चकित्सक (**speech and occupational therapists**) और परामर्शदाता शामिल हैं, जो समग्र देखभाल प्रदान करते हैं।

भारत में दवियांगजनों की वर्तमान स्थिति

- **जनगणना 2011 के अनुसार**, भारत में 2.68 करोड़ [दवियांग व्यक्ति \(PWD\)](#) हैं, जो कुल जनसंख्या का **2.21%** है।
 - दवियांगता का प्रसार महिलाओं (1.9%) की तुलना में **पुरुषों (2.4%) में अधिक** है तथा यह शहरी क्षेत्रों की तुलना में **ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक** है।
- **दवियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** के तहत **21 प्रकार की दवियांगताओं (disabilities)** को मान्यता दी गई है, जनिमें **लोकोमोटर दवियांगता, दृश्य दवियांग, श्रवण दवियांग, भाषण और भाषा दवियांगता, बौद्धिक दवियांगता, बहु-दवियांगता, मस्तिष्क पक्षाघात और बौनापन** आदि शामिल हैं।